तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
13/2/23	राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णीत पत्रावली के हाजिर नहीं आने के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई, अतः पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 5 के वादी नं. 3 व 4 के 50%-50% के निर्णय पर लिखित राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11/11/23 को पेश किये गये हैं। शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण के बहस सुनी। निर्णय अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री पृथक जारी हो। पत्रावली निर्णय पूरा होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :–151/2022

वादीगण

1. भावना पुत्री श्रवण कुमार
2. कमला पुत्री श्रवण कुमार
3. जीयोदेवी पत्नी श्रवणकुमार
   जाति जाट निवासी हूडों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   (वादी संख्या 1 व 2 की कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 3)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दलाराम पुत्र केशराराम
2. नवलकिशोर पुत्र दलाराम
3. आरडी बेनीवाल पुत्र नवलकिशोर
4. खुशबू पुत्री नवलकिशोर
5. चतरूदेवी पत्नी नवलकिशोर
6. नरसिंगराम पुत्र श्रवणकुमार
   जाति जाट निवासी हूडों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   (प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 5)
7. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी शाखा नौखड़ा
8. तहसीलदार गुड़मालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

उपस्थित : श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.02.2023

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पौत/पौत्री हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 पुत्र वधू हैं, तथा मुतवली जेठाराम के वंशज हैं, जेठाराम के फ़ौत होने से दलाराम को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:25 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील नौखड़ा पटवार नौखड़ा के राजस्व ग्राम हूड़ों का तला के खेत खसरा नम्बर 224/1 रकबा 11–04 बीघा, खसरा नम्बर 224/2 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 230 रकबा 94–12 बीघा, खसरा नम्बर 334 रकबा 97–03 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा, व प्रतिवादी संख्या 1 दलाराम के पिता जेठाराम के नाम से

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, तत्पश्चात् दलाराम को विरासत के रूप में प्राप्त हुई। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते हैं, वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा हो चुके है तथा धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी है तथा समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्साा है, इस प्रकार वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर खातेदारी का है, उक्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का है, जिसको घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। उक्त वादग्रस्तं खेतो में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्सानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रोकटोक करता है, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को उनके पैतृक हकों से बेदखल करने पर आमदा है, जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र के सम्बन्ध में इकबाली जबाव पेश कर उक्त आराजी पैतृक होने का कथन किया तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक वाद इश्तदुआ खातेदारी घोषित करने की सहमति दी। तथा वादी संख्या 3, प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 5 द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर माफिक वाद इश्तदुआ वादीगण की खातेदारी घोषित किये जाने की सहमति दी।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वा[illegible] कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अ[illegible]त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राज[illegible] अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) वि[illegible] जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर गुढ़ामालानी

में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।" चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का इकबाली बयान कलमबद्ध करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित करने का लिखित कथन किया है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा बाबजूद नोटिस तामील वादीगण के वादपत्र का किसी प्रकार से विरोध नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी तहसील नौखडा पटवार क्षेत्र नौखडा के राजस्व ग्राम हूड़ों का तला के खेत खसरा नम्बर 224/1 रकबा 11—04 बीघा, खसरा नम्बर 224/2 रकबा 0—05 बीघा, खसरा नम्बर 230 रकबा 94—12 बीघा, खसरा नम्बर 334 रकबा 97—03 बीघा की भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/23 को खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:25 IST
Reason: SelfAttested